प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 13.09.2020

साईबर क्राईम सैल एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा नौकरी/लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, ठगी करने मे प्रयुक्त भारी मात्रा में सामान बरामद

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री शिवराम यादव व अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में साईबर क्राईम सैल एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को साईबर सम्बन्धी अपराधियों की धरपकड हेतु लगाया गया था। दिनांक 12.09.20 की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कब्रिस्तान गांव चांदपुर में कुछ लडके लोन/नौकरी दिलाने के नाम पर लालच देकर ठगी का कार्य कर रहे है जिनके पास भारी मात्रा में ठगी करने की सामग्री उपलब्ध है। इस सूचना पर साईबर क्राईम सैल व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये स्थान चांदपुर कब्रिस्तान के पास पहुंचकर घेराबन्दी कर मौके पर मौजूद चारों अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 12.40 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की। मौके से ठगी करने में प्रयुक्त भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- गौरव पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।
2- योगेश शर्मा उर्फ बन्टी पुत्र उदयवीर शर्मा निवासी लौदान आलमपुर हटला थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
3- आकाश पुत्र धनीराम निवासी मौ0 हलवाईयान कस्बा व थाना छर्रा जनपद अलीगढ़।
4- मोनू शर्मा पुत्र प्रेमबाबू शर्मा निवासी मौ0 सुनारान कस्बा व थाना छर्रा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

1- 02 लैपटॉप
2- 04 अदद मोबाईल फोन
3- 13 सिमकार्ड विभिन्न कम्पनियों के।
4- 02 डेबिट कार्ड
5- 02 आधार कार्ड
6- 02 पैन कार्ड, 01 ड्राईविंग लाईसेंस, 05 रजिस्टर, 14 कॉपी।
7- लोन/नौकरी दिलाने के नाम पर बनाये गये फर्जी दस्तावेज की 221 प्रतियां।

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हमारा गैंग लीडर गौरव उपरोक्त है तथा हम लोग क्विकर जॉब साइट से कंपनियों से डाटा खरीदते है जिससे हमें लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाते थे। प्राप्त नंबरों पर हम लोग अलग-अलग सिमकार्ड/वाट्सएप के माध्यम से बात करके कुछ फीस देकर लोन कराने अथवा नौकरी दिलाने का झांसा देकर खाता संख्या-86482200091480 (सिंडिकेट बैंक) तथा खाता संख्या-775411610000020 (बैंक ऑफ इंडिया) एवं खाता संख्या-08412413001278 (ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स) में रुपए डालने को कहकर तथा काम न होने पर रिफण्ड का आश्वासन देकर गुमराह कर किसी न किसी खाते में पैसे डलवा लेते है। खाते में रुपए आते ही हम लोग रूपये निकालकर प्रयोग किया गया सिमकार्ड बदल देते है तथा दूसरे अन्य सिमकार्ड का प्रयोग कर दूसरे लोगो को ठगने का कार्य करते है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि इस कार्य को हम लोग पिछले करीब 03 वर्षों से कर रहे है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1240/20 धारा 420,467,468,471 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

साईबर क्राईम सैल टीम-

1- उ0नि0 राजीव कुमार गौर
2- का0 1801 पंकज कुमार
3- का0 1236 नागेन्द्र सिंह

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अंकित कुमार चौहान
2- का0 भारत सिंह, का0 दीपक कुमार